निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-150/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष पाण्डेय वरि. ले.प. एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.2019 से 07.03.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.05.2017 से 27.05.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - कम्पनी आई.जी.एल के उत्पादों पर प्रयुक्त होने वाले आबकारी राजस्व पर नियंत्रण
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	4898.28
2016-17	4264.17
2017-18	6170.73

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त -संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - प्रभारी आबकारी अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 02/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः को विस्तृत जांच ( ) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर: 1 : देशी एवं विदेशी मदिरा पर सेस की वसूली प्रमाणित न होना।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना (आबकारी) दिनांक 19/05/2017 द्वारा उत्तराखंड राज्य मे देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनयमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017-18 मे दिनांक 01/06/2017 से 31/03/2018 तक के लिए जारी किए गए नियमो के अनुसार नियम 21 मदिरा का विक्रय मूल्य के क्रम संख्या 07 पर 2% सेस आरोपित किया गया था। इस संबंध मे आबकारी आयुक्त उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक 31/05/2017 द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए भी देशी मदिरा की थोक आपूर्ति दरों एवं फुटकर आपूर्ति बिक्री मूल्य निर्धारण के CL के 750 ML पर रुपया 4.69 तथा 375 ML पर रुपया 2.40 तथा 180 ML पर 1.17 की दर से सेस निर्धारित किया गया था।

प्रभारी आबकारी अधिकारी, IGL काशीपुर के अभिलेखों की जांच मे पाया कि वर्ष 2017-18 मे (जून 2017 से मार्च 2018 तक) देशी मदिरा कि निकासी संलग्न तालिका 01 के अनुसार निम्नवत रही, जिस पर सेस दर पर देय था:

मात्रा(ML मे)	मात्रा (बोतलों की संख्या मे)	सेस की दर (रु मे)	सेस राशि
750	12,17,988	4.69	57,12,363.72
375	21,67,444	2.40	52,01,865.60
180	397,25,136	1.17	464,78,409.12
कुल			573,92,638.44

इस प्रकार देशी मदिरा की बिक्री पर प्रभारीय सेस एवं उसकी वसूली के संबंध में कोई भी विवरण इकाई में उपलब्ध नहीं था। प्रभार्य रू 5,73,92,638/- सेस जमा किया गया अथवा नहीं इस संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। देशी मदिरा के साथ-साथ विदेशी मदिरा पर प्रभार्य सेस का विवरण भी उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सेस मदिरा कि विक्री पर आधारित होता है FL-2 एवं CL-2 से विक्री के अनुसार ही सेंस देय होता है अत: संबन्धित जानकारी FL-2 एवं CL-2 के आबकारी निरीक्षक

से प्राप्त किया जा सकता है इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मदिरा निकासी के अनुसार प्रभार्य सेस की कटौती पूर्ण उचित नियंत्रण प्रभारी आबकारी अधिकारी स्तर से ही संभव थी। देशी मदिरा पर रू 5,73,92,638/- के प्रभार्य सेस कटौती का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साथ ही विदेशी मदिरा (FL) पर सेस कटौती के प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराये गये|

प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

तालिका-01

वर्ष 2017-18 से BWL-2A पंजिका के अनुसार जून 2017 से मार्च 2018 तक मासिक निकासी (देशी शराब)

माह	निकासी(750 ML)		निकासी(375 ML)		निकासी (180 ML)
जून, 2017	92388		135864		2775360
जुलाई, 2017	113412		247896		3459744
अगस्त, 2017	140424		186964		4185744
सितम्बर, 2017	54624		206400		3974544
अक्टूबर, 2017	173892		177600		4069152
नवम्बर, 2017	66684		320736		4430304
दिसम्बर, 2017	136980		126300		4923792
जनवरी, 2018	49176		250440		4148832
फ़रवरी, 2018	167304		155136		2482704
मार्च, 2018	223104		360048		5274960
कुल निकासी	1217988		2167444		39725136
सेस की दर	@4.69		@2.40		@1.17
कुल योग =	57,12,363.72	+	52,01,865.6	+	4,64,78,409.12

कुल सेस की धनराशि = ₹5,73,92,638.44

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
37/2001-02	1	-	
23/2007-08	**1**	**1**	
42/2008-09	**1,2**	**-**	
33/2009-10	**-**	**2**	
36/2010-11	**-**	**1**	
47/2011-12	**-**	**1,2**	
18/2017-18	**सभी आपत्तियाँ WORKING OF DISTILLERIES IN THE STATE THEMATIC AUDIT (विषयक लेखापरीक्षा) में शामिल कर ली गयी है।**		

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती राहिबा इकबाल	प्रभारी आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, आई.जी.एल. काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र